कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा

क्रमांकः किराये का वाहन / 2020–2021 / 04 दिनांक– 25.09.2020

::कोटेशन आमंत्रण सूचना::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ7(197 / 1) रालसा / संस्था–कि.वाहन / 2020 / 14265–14277 दिनॉक 26.06.2020 की पालना में वित्त वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 31.03.2021 तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के लिए मासिक आधार पर अधिकतम **Rs. 28,500/- Per month (service tax extra if applicable) for 2000 Kms, for offices having district as their jurisdiction** की कैटेगरी अनुसार किराये का वाहन जो कि टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड हो, लेने हेतु व्यक्ति, फर्म या ट्रैवल एजेन्सी से राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (बजट डिविजन) के परिपत्र क्रमांक एफ.9(1)एफडी.1(1)बजट / 2015 जयपुर, दिनांक 15.07.15 एवं संशोधित परिपत्र एफ. 2(4)एफडी / एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 19.07.2018 एवं 2(4)एफडी / एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 28.02.2019 में दिये नियम एवं शर्तो के अधीन कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन दिनांक 01.10.2020 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त कोटेशन उसी दिन दिनांक 01.10.2020 को 03.00 पी.एम. पर उपस्थित व्यक्ति / फर्म / ट्रैवल एजेन्सी के समक्ष सक्षम अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा द्वारा खोले जाएगें।

1. कोटेशन सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 01.10.2020 को दोपहर 1.00 पी.एम. तक इस कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. लिफाफे के उपर वाहन हेतु कोटेशन अंकित होना चाहिये, तथा मध्य भाग पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा एवं नीचे बांयी तरफ व्यक्ति / फर्म / ट्रैवल ऐजेन्सी का पता अंकित होना चाहिए।
3. वाहन 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
4. व्यक्ति / फर्म / ट्रैवल ऐजेन्सी के भुगतान के समय बिल से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
5. वाहन के टैक्स, परमिट, बीमा, सर्विस टैक्स, फिटनेस इत्यादि सभी कागजात पूर्ण होने चाहिए।
6. वाहन प्रदाता व्यक्ति / फर्म / ट्रैवल ऐजेन्सी को एक एग्रीमेन्ट भी साइन करके देना होगा
7. इसके अलावा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (बजट डिविजन) के परिपत्र क्रमांक एफ.9(1) एफडी.1(1)बजट / 2015 जयपुर दिनांक 15.07.2015 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक 19.07.2018 व 28.02.2019 में दिये नियम एवं शर्तो की पालना करनी होगी।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में क्रेता अधिकारी की निर्णय अंतिम होगा।
9. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र बालोतरा रहेगा।
10. बिल के साथ व्यक्ति / फर्म / ट्रैवल ऐजेन्सी को अपना ऑनलाईन बैंक में खाता संख्या मय बैंक ब्रांच का विवरण देना होगा। समस्त भुगतान उसी बैंक खाता मार्फत किये जाऐगा।
11. अन्य शर्ते व विवरण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा में भी देखे जा सकते हैं।

सही / –
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा

क्रमांकः 3475-3482 दिनांक 25.09.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
2. जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा
4. नगर परिषद् कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा
5. पंचायत समिति कार्यालय बालोतरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बालोतरा को कोटेशन आमंत्रित सूचना प्रेषित कर लेख है कि वह जिला न्यायालय बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड करें
7. सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड द्वितीय जिला न्यायालय बालोतरा
8. कनिष्ठ लिपिक, लेखा शाखा कार्यालय हाजा

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
बालोतरा